<u>प्रेस-विज्ञप्ति</u>

स्वच्छ एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए

दीव के जिला निर्वाचन अधिकारी ने 'सी-विजिल' और 'वोटर हेल्पलाईन' नामक मोबाईल-एप के अधिक से अधिक प्रयोग के लिए लोगों से की अपील

दीव 05 अप्रल, 2019: भारत के निर्वाचन आयोग ने सभी राज्य एवं संघ प्रदेशों को वोटर हेल्प लाईन नं.1950 को स्थापित करने का निर्देश दिया है। इस हेल्प लाईन नंबर के जरिये मतदाता के नाम की पुष्टि, मतदाता विवरण में नवीन पंजीकरण तथा मतदाता पहचान-पत्र में सुधार किया जा सकता है। इस हेल्पलाईन नंबर का उपयोग दीव जिले में बड़े पैमाने में किया गया है।

लोगों को और अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए निर्वाचन आयोग ने 'सी-विजिल' और 'वोटर हेल्पलाईन' नामक मोबाईल-एप भी जारी की है। 'सी.विजिल' का उपयोग करते हुए स्वत: लोकेशन □टा के साथ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन या चुनाव-व्यय की तस्वीरों या वी□यो को अपलो□ किया जा सकता है। कोई भी नागरिक इस मोबाईल-एप के जरिये अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। प्राप्त शिकायतों को फ्लाईंग स्क्वा□ टीम द्वारा जांच कर उसकी रिपोर्ट निर्वाचन अधिकारी को सौंपी जाएगी। यह समयबद्ध शिकायत निवारण प्रक्रिया है। दीव जिले में 'सी-विजिल' से प्राप्त शिकायतों और उसके निवारण हेतु चुनाव नियंत्रण-कक्ष आरंभ किया जा चुका है जिसकी देखरेख इसके लिए विशेष रूप से तैनात कर्मियों द्वारा की जा रही है। 'सी.विजिल' एप की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें शिकायतकर्ता अपनी पहचान छुपा भी सकता है।

इसी तरह निर्वाचन आयोग ने 'वोटर हेल्पलाईन' नामक मोबाईल-एप भी जारी की है। इसके माध्यम से भारत का प्रत्येक मतदाता मतदाता-सूची में अपना नाम ढूँढ़ सकता है। साथ ही इस एप के जरिये आवेदन ऑनलाईन जमा किया जा सकता है और आवेदन की स्थिति का पता भी लगाया जा सकता है। मोबाईल-एप के जरिये शिकायतों को दर्ज किया जा सकता है और मोबाईल पर ही निवारण संबंधी संदेशों को प्राप्त किया जा सकता है।

दीव के समाहर्ता एवं सहायक निर्वाचन अधिकारी श्री हेमंत कुमार ने स्वच्छ एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए दीव के लोगों से अपील की है कि वे इन दोनों मोबाईल-एप का अधिक से अधिक उपयोग करें और इसके उपयोग एवं लाभ से दूसरों को भी अवगत करायें ताकि वे भी इन एप का प्रयोग कर सकें।